प्रेस विज्ञप्ति
17/3/2026

<u>एचपीजेड टोकन निवेश घोटाला</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दीमापुर उप ने कार्यालय आंचलिक-एचपीजेड टोकन निवेश घोटाले से संबंधित चल रही जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम) पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **लगभग ₹10.24 करोड़ की अपराध की आय से संबंधित 94 बैंक खातों** को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर साइबर सक्ती जारी की ईडी खिलाफ के धोखाधड़ी वित्तीय सक्षम- है। हिस्सा का

ईडी ने यह जांच साइबर क्राइम थाना, कोहिमा, नागालैंड द्वारा भारतीय दंड संहिता) IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत एचपीजेड टोकन एवं अन्य के खिलाफ 08.10.2021 को दर्ज एफआईआर संख्या 03/2021 के आधार पर शुरू की। इसके पश्चात, इससे संबंधित एफआईआरों सहित सीआईडी थाना, उलुबाड़ी, गुवाहाटी द्वारा 02.09.2021 को दर्ज एफआईआर संख्या 0006/2021 और सीबीआइओ, ईओ-III, दिल्ली द्वारा 08.06.2022 को दर्ज RC2212022E0022 को भी पीएमएलएल के तहत जांच के लिए लिया गया।

जांच में यह सामने आया है कि एचपीजेड टोकन घोटाला एक बड़े पैमाने का निवेश धोखाधड़ी प्रकरण है, जिसमें देश भर के भोलेको निवेशकों भाले- एचपीजेड टोकन ऐप के माध्यम से उच्च रिटर्न के झूठे वादों के तहत निवेश करने के लिए उकसाया गया। जांच में यह भी उजागर हुआ है कि अपराध की आय को परत दर परत छिपाने और शोधन करने के लिए बड़ी संख्या में म्यूल खाते, शेल कंपनियाँ, डमी निदेशक, और भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं का दुरुपयोग किया गया।

वित्तीय लेन के देन-संरेखण (ट्रेस) से निवेशकों से मुख्य आरोपियों, जिनमें भुपेश अरोड़ा और उनके सहयोगी शामिल हैं, तक निधियों का प्रवाह स्पष्ट रूप से स्थापित हुआ है। प्रारंभ में, ये निधियाँ एक निजी बैंक में रखे गए म्यूल खातों से जुड़े कई यूपीआई आईडी के माध्यम से संग्रहित की गईं। इसके बाद, अपराध की आय को विभिन्न शेल कंपनियों में स्थानांतरित किया गया, जिन्होंने PayU, Aggrepay और Easebuzz जैसे भुगतान एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग और ग़लत प्रस्तुति करके निधियाँ प्राप्त कीं। निधियों का एक छोटा हिस्सा निवेशकों को वापस भेजा गया ताकि वैधता का भ्रम पैदा किया जा सके और उन्हें और अधिक निवेश के लिए प्रेरित किया जा सके।

आगे की जांच में भुपेश अरोड़ा, उनके पिता श्री गुलशन अरोड़ा और अन्य सहयोगियों के निदेशक होने वाले म्यूल खातों और शेल संस्थाओं के जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस नेटवर्क के अंतर्गत ऐसी कुछ संस्थाएँ यथा मेसर्स डिजि इंडिया मार्केटिंग (एकमात्र स्वामी इंदु प्रभ शर्मा, लेकिन स्वामी के अनुसार नियंत्रित भुपेश अरोड़ा) , मेसर्स ऐनलिटिक बिजनेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक: अक्षय धवन और विवेक कुमार, दोनों भुपेश अरोड़ा के कर्मचारी , (मेसर्स फ्रीबी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक: भुपेश अरोड़ा और गुलशन अरोड़ा) , मेसर्स त्रुविनिता सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक: अवेक शर्मा, लेकिन अवेक शर्मा के अनुसार नियंत्रित भुपेश अरोड़ा) , मेसर्स जविऑन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक: प्रिंस कुमार और दीपक कुमार, लेकिन नियंत्रित भुपेश अरोड़ा) , मेसर्स सार्क एन्रॉल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक: ठाकुर दयापाल सिंह, लेकिन ठाकुर दयापाल सिंह के अनुसार नियंत्रित भुपेश अरोड़ा) को चिह्नित किया गया है। इस मामले में कुल अपराध की आय लगभग ₹2200 करोड़ चिह्नित की गई है, जिसमें से अब तक ₹662 करोड़ से अधिक को ईडी द्वारा कुर्क किया जा चुका है। आरोप है कि भुपेश अरोड़ा ने अपने कई सहयोगियों के साथ मिलकर इन संस्थाओं और अन्य म्यूल खातों, हवाला ऑपरेटरों, तथा विदेशी मुद्रा चैनलों के नेटवर्क का उपयोग कर इतनी बड़ी अपराध की आय के शोधन में किया।

इन संस्थाओं और खातों की जांच से **94 और म्यूल बैंक खाते** चिन्हित हुए हैं, जिनमें लगभग **₹10.24 करोड़** शेष हैं, और जिन्हें वर्तमान **अनंतिम कुर्क आदेश** के तहत अब कुर्क किया गया है।

इस मामले में पहले ही माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, दीमापुर में अभियोजन शिकायत दर्ज की जा चुकी है, और मामला वर्तमान में परिक्षणाधीन है।

आगे की जांच जारी है।